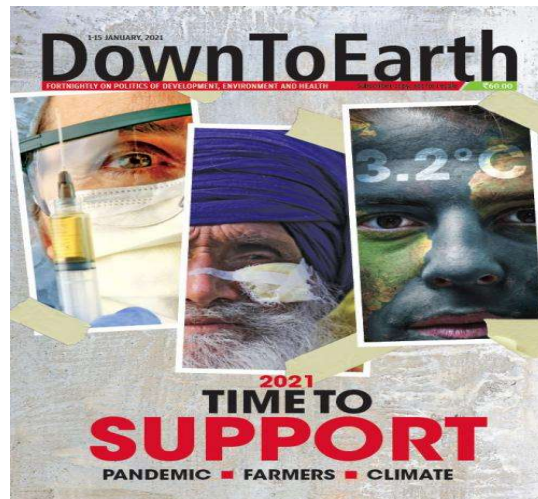


1 to 5 February Current

YOJNA IAS



CURRENT AFFAIRS



पद्म पुरस्कार 2022

- **जनरल बिपिन रावत** (पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ), जिनकी हाल ही में एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जिन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान राज्य का नेतृत्व किया, को गणतंत्र दिवस (73वें) की पूर्व संध्या पर मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
- पद्म श्रृंखला का हिस्सा, पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।

पृष्ठभूमि:

- पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) को की जाती है।
- वर्ष 1954 में स्थापित यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है।

उद्देश्य:

- यह ऐसी सभी विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान करता है, जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्त्व शामिल हो।

श्रेणियाँ:

ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिये जाते हैं:

- **पद्म विभूषण** (असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिये)
- **पद्म भूषण** (उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा)
- **पद्म श्री** (प्रतिष्ठित सेवा)

- पद्म भूषण और पद्म श्री के बाद पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में पद्म विभूषण सर्वोच्च है।

संबंधित क्षेत्र:

- ये पुरस्कार विभिन्न विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों में दिये जाते हैं, जैसे- कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि।

चयन प्रक्रिया:

- **पद्म पुरस्कार समिति:** ये पुरस्कार 'पद्म पुरस्कार समिति' द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रदान किये जाते हैं, जिसका गठन प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है।
- **राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त:** ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर प्रतिवर्ष मार्च/अप्रैल के महीने में प्रदान किये जाते हैं।

भारत रत्न:

- भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
- यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा/उच्चतम प्रदर्शन के सम्मान में प्रदान किया जाता है।
- इसकी घोषणा पद्म पुरस्कार से अलग स्तर पर की जाती है। भारत रत्न की सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को की जाती हैं।
- भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या एक विशेष वर्ष में अधिकतम तीन तक हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने **हिमाचल प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस (25 जनवरी)** पर लोगों को बधाई दी।
- **राजकीय जंतु:** हिम तेंदुआ
- **राजकीय पक्षी:** वेस्टर्न ट्रेगोपेन
- **राजकीय पुष्प:** पिंक रोडोडेंड्रोन/ या बुरांस या बुरुंश
- **राजकीय भाषा:** हिंदी और स्थानीय बोलियाँ
- **प्रमुख नदियाँ और बांध:** सतलुज (भाखड़ा बांध, गोबिंद सागर जलाशय, कोल्डम बांध), व्यास (पंडोह बांध, महाराणा प्रताप सागर जलाशय), रावी (चमेरा बांध), पार्वती
- **प्रमुख झीलें:** रेणुका, रेवलसर, खज्जियार, दाल, ब्यास कुंड, दसौर, ब्रिघू, पराशर, मणि महेश, चंदर ताल, सूरज ताल, करेरी, सरोलसर, गोविंद सागर, नाको झील
- **राष्ट्रीय उद्यान:** ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, खिरगंगा, इंंदरकिला तथा सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान

प्रमुख बिंदु

ब्रिटिश शासन के दौरान का इतिहास:

- वर्ष 1858 में रानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद पहाड़ी ब्रिटिश क्षेत्र ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गए।
- ब्रिटिश शासन के दौरान चंबा, मंडी और बिलासपुर राज्यों ने कई क्षेत्रों में अच्छी प्रगति की।
- प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) के दौरान पहाड़ी राज्यों के लगभग सभी शासक वफादार रहे और उन्होंने सैनिकों एवं आवश्यक सामग्रियों दोनों के रूप में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों में योगदान दिया।

स्वतंत्रता के बाद का इतिहास:

- स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद वर्तमान हिमाचल प्रदेश के इतिहास की रूपरेखा नीचे दी गई है:
- हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में 15 अप्रैल, 1948 को अस्तित्व में आया था।
- हिमाचल प्रदेश 26 जनवरी, 1950 को भारत के संविधान के कार्यान्वयन के साथ 'भाग C' राज्य (भाग VII के तहत) बन गया।
- 1 जुलाई, 1954 को बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया।
- राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद 1 नवंबर, 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्रशासित प्रदेश बना।
- कांगड़ा और पंजाब के अधिकांश अन्य पहाड़ी क्षेत्रों को 1 नवंबर, 1966 को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया, हालाँकि तब भी यह एक केंद्रशासित प्रदेश ही रहा।
- 18 दिसंबर, 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और 25 जनवरी, 1971 को नया राज्य अस्तित्व में आया। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ के अठारहवें राज्य के रूप में सामने आया।
- तब से हिमाचल प्रदेश ने एक लंबा सफर तय किया है। इसने कई पूर्ण सरकारों का कार्यकाल देखा है जिन्होंने राज्य को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया है।

राज्य पुनर्गठन आयोग

- ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत के लिये 500 से अधिक रियासतों को प्रभावी प्रांतीय इकाइयों में पुनर्गठित करना सबसे बड़े कार्यों में से एक था।
- इसी क्रम में **एस. के. धर आयोग (1948)** और **जेवीपी समिति (1948)** ने **भौगोलिक निकटता, प्रशासनिक सुविधा, वित्तीय आत्मनिर्भरता तथा विकास की क्षमता के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन** की बात की।
- हालाँकि आंध्र राज्य की मांग को लेकर भूख हड़ताल के बाद **पोट्टी श्रीरामालू (Potti Sriramalu)** की अचानक मौत के कारण एक अस्थिर स्थिति पैदा हो गई थी।

- वर्ष 1953 में फज़ल अली आयोग की स्थापना की गई और **भाषायी मानदंडों (अन्य मानदंड भी शामिल थे)** के आधार पर राज्य के पुनर्गठन हेतु इसकी सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया था।

धार्मिक तीर्थयात्रा पर वर्ष 1974 के संयुक्त प्रोटोकॉल: भारत-पाकिस्तान

- हाल ही में विदेश मंत्रालय (MEA) ने घोषणा की है कि भारत **धार्मिक तीर्थयात्रा पर वर्ष 1974 के संयुक्त प्रोटोकॉल** के उन्नयन पर **पाकिस्तान के साथ बातचीत में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और संलग्न होने के लिये तैयार है।**
- यह हवाई यात्रा की अनुमति देगा और साथ ही दोनों देशों के तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि कर सकता है।
- भारत सरकार करीब 20 महीने बाद **पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर (Kartarpur Sahib Gurudwara Corridor)** को **फिर से खोलने पर विचार** कर रही है ताकि सिख तीर्थयात्रियों को वहाँ से गुज़रने की अनुमति मिल सके। इसे कोविड-19 महामारी के कारण बंद कर दिया गया था।
- इससे पहले भारत तथा पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया था।

परिचय:

- प्रोटोकॉल के तहत दोनों देश ऐसे तीर्थस्थलों की यात्रा की सुविधा हेतु **निम्नलिखित सिद्धांतों पर सहमत** हुए हैं:
- धर्म या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव के बिना एक देश से दूसरे देश में तीर्थ यात्रा की अनुमति दी जाएगी। जल्द ही पत्राचार के माध्यम से दर्शन किये जाने वाले तीर्थस्थलों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- सहमत सूची को समय-समय पर आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।
- प्रोटोकॉल में वर्तमान में भारतीय पक्ष में पाँच मुस्लिम तीर्थस्थल और पाकिस्तानी पक्ष में 15 तीर्थस्थल शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश गुरुद्वारे हैं।
- प्रतिवर्ष एक देश से दूसरे देश में 20 दलों को यात्रा की अनुमति दी जा सकती है। इस संख्या को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिये हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिये कि सहमत सूची में उल्लिखित धार्मिक पूजा स्थलों का उचित रखरखाव हो और उनकी पवित्रता बनी रहे।
- ऐसे आगंतुकों/विज़िटर्स को विज़िटर कैटेगरी (Visitor Category) का वीजा दिया जाएगा।

करतारपुर कॉरिडोर:

- करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के नारोवाल ज़िले में दरबार साहिब गुरुद्वारा को भारत के पंजाब प्रांत के गुरदासपुर ज़िले में डेरा बाबा नानक साहिब से जोड़ता है।
- यह कॉरिडोर 12 नवंबर, 2019 को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 550वीं जयंती समारोह के अवसर पर बनाया गया था।

विश्व कुष्ठ दिवस 2022

- विश्व कुष्ठ दिवस (World Leprosy Day) जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। इस बार यह 30 जनवरी, 2022 को पूरे विश्व में मनाया गया।
- इस वर्ष हेतु इसकी थीम 'यूनाइटेड फॉर डिग्नटी' (United for Dignity) और कुष्ठ रोगियों के लिये सम्मानजनक जीवन जीने हेतु वातावरण तैयार करना है।
- इस दिन की शुरुआत पहली बार वर्ष 1954 में फ्राँसीसी व्यक्ति 'राउल फोलेरेउ' ने की थी, जिन्होंने लोगों को इस प्राचीन बीमारी के बारे में बताया।
- अब तक दुनिया भर में बहुत से लोग इस बीमारी से अवगत नहीं हैं और उन्हें उचित चिकित्सा सहायता नहीं मिलती है तथा कुष्ठ रोग से पीड़ित अधिकांश लोगों को किसी-न-किसी रूप में कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनमें से आधे अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होते हैं।
- कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री (Mycobacterium Leprae) के कारण होने वाला एक क्रोनिक संक्रामक रोग (Chronic Infectious Disease) है।
- इस रोग की वजह से त्वचा पर गंभीर घाव हो जाते हैं और हाथों तथा पैरों की तंत्रिकाओं को भारी नुकसान पहुँचता है।
- माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया की खोज करने वाले चिकित्सक का नाम डॉ. आर्मोर हैन्सेन है। इसलिये इस रोग को हैन्सेन का रोग के रूप में भी जाना जाता है।
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार, मल्टीड्रग थेरेपी (Multidrug Therapy-MDT) द्वारा कुष्ठ रोग का प्रभावी उपचार किया जा सकता है।

परजीवी फूल वाले पौधे: निकोबार द्वीप समूह

- हाल ही में निकोबार द्वीप समूह में परजीवी फूल वाले पौधे का एक नया जीनस (सेप्टेमेरंथस) खोजा गया है।
- सेप्टेमेरंथस के अलावा, गैर-परजीवी पौधों के चार अन्य जीनस निकोबारियोडेंड्रोन (हिप्पोक्रेटेसी), स्यूडोडिप्लोस्पोरा (रूबियासी), प्यूबिस्टिलिस (रूबियासी), स्पिरेंथेरा, (यूफोरबियासी) भी निकोबार द्वीप समूह से खोजे गए हैं, जो इस क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्त्व को उजागर करते हैं।

परजीवी पौधा:

- ऐसा पौधा जो अपने पोषण का पूरा या कुछ हिस्सा दूसरे पौधे (पोषक) से उसे बिना लाभ प्रदान किये प्राप्त करता है एवं कभी-कभी उस मेजबान पौधे को अत्यधिक नुकसान पहुँचाता है।
- एक परजीवी पौधे की परिभाषित संरचनात्मक विशेषता 'हौस्टोरियम' है, यह एक विशेष अंग है जो मेजबान पौधे में प्रवेश करता है और दोनों के बीच एक संवहनी संघ का निर्माण करता है।
- परजीवी पौधे, क्लाइम्बिंग वाइंस, लियनास, एपिफाइट्स और एरोफाइट्स आदि से अलग होते हैं। बाद वाले परजीवी नहीं होते हैं, क्योंकि वे अन्य पौधों का उपयोग पानी या पोषक तत्वों के प्रत्यक्ष स्रोत के बजाय केवल एक संरचना के रूप में करते हैं।

परिचय:

- 'सेप्टेमेरंथस' जीनस पौधे की प्रजाति 'हॉर्सफील्डियाग्लाब्रा' (ब्लूम) वारब के सहारे बढ़ता है।
- 'सेप्टेमेरंथस' केवल आंशिक रूप से अपने मेजबान पर निर्भर करता है, लेकिन इसमें प्रकाश संश्लेषण हेतु सक्षम पत्ते भी मौजूद होते हैं।
- यह केवल निकोबार द्वीप समूह के लिये ही स्थानिक है।
- 'सेप्टेमेरंथस' नाम लैटिन शब्द 'सेप्टम' से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'सात', जो फूलों की व्यवस्था के क्रम का वर्णन करता है।

- यह जीनस 'लोरेन्थेसी' परिवार से संबंधित है, जो सैंडलवुड (चंदन) ऑर्डर के तहत एक हेमी-पैरासाइट है, जो कि काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।
- हेमी-पैरासाइट पौधे अपने पोषण के लिये आंशिक रूप से अपने मेज़बान पौधों पर निर्भर होते हैं।

विशेषताएँ:

- पौधे की पत्तियाँ बहुत लंबी नोक वाली दिल के आकार की होती हैं तथा अंडाशय, फल और बीज 'यूसोलेट (urceolate)' (मिट्टी के घड़े के आकार के) होते हैं।
- इसकी एक संशोधित जड़ संरचना पेड़ के तने पर फैली रहती।

अर्द्ध-परजीवी (Hemi-Parasites):

- अर्द्ध-परजीवी को **आमतौर पर मिस्टलेटो (mistletoes) के रूप में भी जाना जाता** है जिसमें लगभग 2,200 से अधिक प्रजातियाँ शामिल हैं।
- दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण आवासों में इनके वितरण को विकसित और प्रदर्शित करने के लिये उन्हें एक पोषिता पेड़ या झाड़ी की आवश्यकता होती है जो क्रम में लगभग पाँच गुना विकसित और वन पारिस्थितिकी, विकृति विज्ञान एवं चिकित्सा में महत्वपूर्ण हैं।
- वे एक **महत्वपूर्ण भूमिका निभाते** हैं क्योंकि वे फ्रुजीवोरस (frugivorous- फलों को खाने वाले) पक्षियों के लिये भोजन प्रदान करते हैं।

YOUNA LAS

सर्विसेज ई-हेल्थ असिस्टेंस एंड टेलीकंसल्टेशन (SeHAT)

- **रक्षा मंत्रालय (MoD) ने सर्विसेज ई-हेल्थ असिस्टेंस एंड टेलीकंसल्टेशन (SeHAT)** नामक एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से सेवानिवृत्त सैनिकों और सैन्यकर्मियों को सेवाएँ प्रदान करने के लिये दवाओं की होम डिलीवरी सेवा शुरू की है।

सेहत पहल (SeHAT Initiative)

- यह रक्षा मंत्रालय की सेना के तीनों अंगों की एक टेलीकंसल्टेशन सेवा है जिसे सभी पात्र सैन्यकर्मियों और उनके परिवारों के लिये बनाया गया है।
- डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस के लिये सरकार की प्रतिबद्धता के तहत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 27 मई, 2021 को सेहत का शुभारंभ किया।
- इसका उद्देश्य मरीजों को उनके घरों में स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है।
- **सेहत स्टे होम ओपीडी** ई-संजीवनी की तर्ज पर सभी नागरिकों के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा संचालित एक मुफ्त ओपीडी सेवा पर आधारित है।
- **सेहत स्टे होम ओपीडी (SeHATOPD)** मरीज से लेकर डॉक्टर तक के लिये एक प्रणाली है जहाँ रोगी इंटरनेट के माध्यम से दूर से ही डॉक्टर से परामर्श कर सकता है।

'बम चक्रवात'

- हाल ही में 'बम चक्रवात' पूर्वी अमेरिका से टकराया, इससे परिवहन संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं।

बम चक्रवात:

- बम चक्रवात एक एक तीव्र मध्य अक्षांशीय चक्रवात है, इसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और इसमें खराब मौसम एवं बर्फ़ीले तूफान से लेकर तेज़ आँधी और भारी वर्षा तक मौसम के कई रूप देखने को मिलते हैं।
- बम चक्रवात को पूर्वानुमानकर्ताओं द्वारा हाई अलर्ट पर रखा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।

उत्पत्ति के कारण:

- यह तब निर्मित हो सकता है जब ठंडी वायु का द्रव्यमान गर्मवायु के द्रव्यमान से टकराता है जैसे कि गर्म समुद्री जल के ऊपर की वायु। इस तेज़ी से मजबूत होने वाली मौसम प्रणाली का बनना एक प्रक्रिया है जिसे बॉम्बोजेनेसिस (**Bombogenesis**) कहा जाता है।
- इसका निर्माण तब होता है जब एक मध्य अक्षांश चक्रवात तेज़ी से बढ़ता है तथा जिसमें 24 घंटों में कम-से-कम 24 मिलीबार की गिरावट आई हो।
- 'मिलीबार' वायुमंडलीय दबाव को मापता है।

एक बम चक्रवात, हरिकेन से किस प्रकार भिन्न होता है?

- 'हरिकेन' (Hurricanes) उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनते हैं और गर्म समुद्रों द्वारा संचालित होते हैं। इस कारण से वे गर्मियों के मौसम में काफी आम होते हैं, क्योंकि इस दौरान समुद्री जल गर्म होता है।
- बम चक्रवात आमतौर पर ठंड के दौरान देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये चक्रवात ठंडी और गर्म हवा के मिलन के कारण बनते हैं। गर्मियों के दौरान आमतौर पर पूरे वातावरण में अधिक ठंडी हवा नहीं होती है; इसका मतलब है कि तब एक बम चक्रवात उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम होती है।
- उष्णकटिबंधीय जल में तूफान बनते हैं, जबकि बम चक्रवात उत्तर-पश्चिमी अटलांटिक, उत्तर-पश्चिमी प्रशांत और कभी-कभी भूमध्य सागर के ऊपर बनते हैं।

भारतीय तटरक्षक बल

- **भारतीय तटरक्षक बल (ICG)** ने 01 फरवरी, 2022 को अपना 46वाँ स्थापना दिवस मनाया।
- ICG की स्थापना अगस्त 1978 में तटरक्षक अधिनियम, 1978 द्वारा भारत के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में की गई थी।
- विश्व में चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय तट की सुरक्षा और भारत के समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पृष्ठभूमि:

- यह रक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत एक सशस्त्र बल, खोज और बचाव एवं समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- ICG के गठन की अवधारणा वर्ष 1971 के युद्ध के बाद अस्तित्व में आई।
- **रुस्तमजी समिति** द्वारा एक बहु-आयामी तटरक्षक के लिये दूरदर्शी खाका तैयार किया गया था।
- प्रभावी कमान एवं नियंत्रण हेतु भारत के समुद्री क्षेत्रों को पाँच तटरक्षक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, पूर्व, उत्तर-पूर्व और अंडमान एवं निकोबार शामिल हैं, इनके मुख्यालय क्रमशः गांधीनगर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं।

कार्य:

- **तस्करी को रोकना:** ICG के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक समुद्री मार्गों से तस्करी को रोकना है।
- सन्निहित क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone-EEZ) सहित भारत के क्षेत्रीय जल पर इसका अधिकार क्षेत्र है।
- यह भारत के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिये ज़िम्मेदार है और भारतीय जल क्षेत्र में तेल रिसाव की प्रतिक्रिया हेतु प्राधिकरण के साथ समन्वय कर रहा है।
- **नागरिक को सहायता:** इसने अपने विभिन्न कार्यों के दौरान अब तक लगभग 13,000 नागरिकों को बचाया है। हाल ही में महाराष्ट्र, कर्नाटक

और गोवा में बाढ़, चक्रवात एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी नागरिकों को सहायता प्रदान की।

- यह एक मज़बूत तटीय सुरक्षा तंत्र स्थापित करने के लिये केंद्र और राज्य एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में कार्य कर रहा है।
- **समुद्री सुरक्षा:** यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अपराधों का मुकाबला करने और अपने अधिकार वाले क्षेत्र के साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने हेतु तटवर्ती देशों के साथ भी सहयोग करता है।
- सागर पहल (Security and Growth for All in the Region- SAGAR) तथा नेबरहुड फर्स्ट (Neighbourhood First) की नीति के तहत ICG ने महासागरों में व्यावसायिक संबंधों का विकास किया है और महासागर शांति स्थापना के लिये हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ संबंध स्थापित किये हैं।
- **आपदा प्रबंधन में भूमिका:** ICG ने बड़ी पारिस्थितिक आपदाओं के दौरान सफलतापूर्वक सुरक्षा प्रदान की है और इस क्षेत्र में 'प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता' ('First Responder) के रूप में उभरा है।
- उदाहरण के लिये आईसीजी ने हाल ही में श्रीलंका तट पर "सागर आरक्षा-II" के रासायनिक वाहक एमवी एक्स-प्रेस पर्ल जहाज़ पर आग बुझाकर गंभीर पारिस्थितिक आपदा को सफलतापूर्वक टाल दिया।

होयसल मंदिर

- हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2022-2023 के लिये 'विश्व धरोहर स्थल' के रूप में विचार करने हेतु होयसल मंदिरों के पवित्र स्मारकों को नामित किया है।
- 12वीं-13वीं शताब्दी में निर्मित होयसल मंदिर कर्नाटक में बेलूर, हलेबीडु और सोमनाथपुर के तीन घटकों द्वारा चिह्नित हैं। ये तीनों होयसल मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के संरक्षित स्मारक हैं।

- 'होयसला के पवित्र स्मारक' 15 अप्रैल, 2014 से यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हैं और भारत की समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के साक्षी हैं।
- इससे पहले यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र (WHC) ने अपनी वेबसाइट पर भारत के 'यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों' के हिंदी विवरण प्रकाशित करने पर सहमति व्यक्त की थी।

बेलूर, हलेबीडु और सोमनाथपुरा मंदिरों की विशेषताएँ:

चेन्नाकेशव मंदिर, बेलूर:

- यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें 'चेन्नाकेशव' के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है- 'सुंदर' (चेन्ना) एवं 'विष्णु' (केशव)।
- मंदिर के बाहरी हिस्से में बड़े पैमाने पर तराशे गए पत्थर विष्णु के जीवन एवं उनके पुनर्जन्म तथा महाकाव्यों- रामायण और महाभारत के दृश्यों का वर्णन करते हैं।
- हालाँकि यहाँ शिव से जुड़े कुछ मंदिर भी मौजूद हैं।

होयसलेश्वर मंदिर, हलेबिड (Hoysaleswara Temple):

- हलेबिड में होयसलेश्वर मंदिर वर्तमान में मौजूद होयसलों का सबसे अनुकरणीय स्थापत्य है।
- इसका निर्माण होयसल राजा विष्णुवर्धन होयसलेश्वर के शासनकाल के दौरान 1121 ई. में किया गया था।
- शिव को समर्पित यह मंदिर दोरासमुद्र के धनी नागरिकों तथा व्यापारियों द्वारा प्रायोजित व निर्मित किया गया था।
- यह मंदिर 240 से अधिक दीवार में संलग्न मूर्तियों के लिये सबसे प्रसिद्ध है।
- हलेबिड में एक दीवार वाला परिसर है जिसमें होयसल काल के तीन जैन मंदिर भी हैं।

केशव मंदिर, सोमनाथपुरा (Keshava Temple, Somanathapura):

- सोमनाथपुरा में केशव मंदिर एक और शानदार (शायद आखिरी) होयसल स्मारक है।
- यहाँ जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल के इन तीन रूपों में भगवान कृष्ण को समर्पित एक सुंदर त्रिकूट मंदिर है।

- दुर्भाग्य से यहाँ मुख्य केशव मूर्ति गायब है तथा जनार्दन एवं वेणुगोपाल की मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त हैं।

होयसल वास्तुकला की विशेषताएँ क्या हैं?

- होयसल वास्तुकला 11वीं एवं 14वीं शताब्दी के बीच होयसल साम्राज्य के अंतर्गत विकसित एक वास्तुकला शैली है जो ज्यादातर दक्षिणी कर्नाटक क्षेत्र में केंद्रित है।
- होयसल मंदिर, हाइब्रिड या बेसर शैली के अंतर्गत आते हैं क्योंकि उनकी अनूठी शैली न तो पूरी तरह से द्रविड़ है और न ही नागर।
- होयसल मंदिरों में एक बुनियादी द्रविड़ियन आकृति है, लेकिन मध्य भारत में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली **भूमिजा मोड (Bhumija mode)**, उत्तरी और पश्चिमी भारत की नागर परंपराओं और कल्याणी चालुक्यों द्वारा समर्थित **कर्नाटक द्रविड़ मोड** के मज़बूत प्रभाव दिखाई देते हैं।
- इसलिये होयसल के वास्तुविदों ने अन्य मंदिर प्रकारों में विद्यमान बनावट पर विचार किया तथा उनके चयन और यथोचित संशोधन करने के बाद इन विधाओं को अपने स्वयं के विशेष नवाचारों के साथ मिश्रित किया।
- इसकी परिणति एक पूर्णरूपेण अभिनव 'होयसल मंदिर' ('Hoysala Temple') शैली के अभ्युदय के रूप में हुई।
- होयसल मंदिरों में खंभे वाले हॉल के साथ एक साधारण आंतरिक कक्ष की बजाय एक केंद्रीय स्तंभ वाले हॉल के चारों ओर समूह में कई मंदिर शामिल होते हैं और यह संपूर्ण संरचना एक जटिल डिज़ाइन वाले तारे के आकार में होती है।
- चूँकि ये मंदिर शैलखटी (Steatite) चट्टानों से निर्मित हैं जो अपेक्षाकृत एक नरम पत्थर होता है जिससे कलाकार मूर्तियों को जटिल रूप देने में सक्षम होते थे। इसे विशेष रूप से देवताओं के आभूषणों में देखा जा सकता है जो मंदिर की दीवारों को सुशोभित करते हैं।

विश्व धरोहर स्थल के बारे में:

- यूनेस्को (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) द्वारा सूचीबद्ध विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्त्व के स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है।

- विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत 1972 के संरक्षण के संबंध में कन्वेंशन के तहत स्थलों को "उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य" (Outstanding Universal Value) के रूप में नामित किया जाता है।
- विश्व विरासत केंद्र इस कन्वेंशन के सञ्चालन हेतु सचिवालय के रूप में कार्य करता है।
- यह पूरे विश्व में उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्यों के प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा देता है।
- इसमें तीन प्रकार के स्थल शामिल हैं: सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित।
- सांस्कृतिक विरासत (Cultural Heritage) स्थलों में ऐतिहासिक इमारत, शहर स्थल, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल, स्मारकीय मूर्तिकला और पेंटिंग कार्य शामिल किये जाते हैं जैसे- धौलावीरा: एक हड़प्पा शहर।
- प्राकृतिक विरासत स्थल उन प्राकृतिक क्षेत्रों तक सीमित हैं जिनमें उत्कृष्ट पारिस्थितिक और विकासवादी प्रक्रियाएँ, अद्वितीय प्राकृतिक घटनाएँ, दुर्लभ या लुप्तप्राय प्रजातियों के आवास आदि हैं।
उदाहरण: **ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क** संरक्षण क्षेत्र।
- मिश्रित विरासत स्थलों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व दोनों के तत्त्व होते हैं। उदाहरण: **खांगचेंदज़ोंगा राष्ट्रीय उद्यान**।
- **भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या:** भारत में कुल मिलाकर 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित स्थल शामिल है। एक हड़प्पाकालीन शहर धौलावीरा हाल ही में जोड़ा गया है।
- **नामांकन प्रक्रिया:** यूनेस्को के परिचालन दिशा-निर्देश, 2019 के अनुसार, अंतिम नामांकन डोज़ियर के लिये विचार किये जाने से पहले किसी भी स्मारक/स्थल को एक वर्ष हेतु अस्थायी सूची में रखना अनिवार्य है।
- एक बार नामांकन हो जाने के बाद इसे वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर (WHC) को भेजा जाता है, जो इसकी तकनीकी जाँच करता है।
- एक बार सबमिशन हो जाने के बाद यूनेस्को मार्च की शुरुआत में फिर से संपर्क करेगा। उसके बाद सितंबर/अक्टूबर 2022 में साइट का

मूल्यांकन होगा और जुलाई/अगस्त 2023 में डोज़ियर पर विचार किया जाएगा।

शीतकालीन ओलंपिक

- शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन के लिये रूसी राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और **मध्य एशिया** से पाँच राष्ट्रपति चीन पहुँचेंगे।

यात्रा का महत्त्व:

- रूसी राष्ट्रपति **यूक्रेन के साथ जारी संकट** पर चीनी राष्ट्रपति के साथ चर्चा करेंगे।
- चीन के रूस के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, लेकिन रूस-यूक्रेन संकट पर वह काफी हद तक चुप है।
- पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा चीन से निवेश हेतु चर्चा किये जाने के साथ ही **चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)** योजना को गति देने की उम्मीद है।
- चीन ने यह भी घोषणा की है कि वह पाकिस्तान के लिये संचार उपग्रहों के विकास पर चर्चा और **पाकिस्तान अंतरिक्ष केंद्र** के निर्माण में सहयोग करना चाहता है।
- चीन के **शिनज़ियांग प्रांत में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन** के कारण अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने खेलों के **"राजनयिक बहिष्कार"** की घोषणा की है।

शीतकालीन ओलंपिक:

- शीतकालीन ओलंपिक उन खेलों की प्रमुख प्रतियोगिता है जो बर्फ पर खेले जाते हैं।
- यह प्रत्येक चार वर्ष में आयोजित किया जाता है और इसमें दुनिया भर के प्रतिभागी शामिल होते हैं।
- आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग और फिगर स्केटिंग कुछ लोकप्रिय खेल हैं जो शीतकालीन खेलों में खेले जाते हैं।
- पहला शीतकालीन ओलंपिक वर्ष 1924 में फ्रांस के शैमॉनिक्स में आयोजित किया गया था।
- शीतकालीन खेलों को प्रारंभ में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान ही खेला जाता था, वर्ष 1908 के लंदन ओलंपिक में चार स्केटिंग स्पर्द्धाओं की मेज़बानी की गई और वहीं एंटवर्प में 1920 में आयोजित ओलंपिक में स्केटिंग के साथ-साथ आइस हॉकी भी शामिल थी।
- हालाँकि वर्ष 1924 में शीतकालीन खेलों के लिये एक अलग कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसे 'अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेल सप्ताह' कहा जाता है।
- यह वर्ष 1924 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के मेज़बान देश - शैमॉनिक्स, फ्रांस में आयोजित किया गया था।
- दो वर्ष बाद 'शैमॉनिक्स' में 'अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेल सप्ताह' को आधिकारिक तौर पर पहले शीतकालीन ओलंपिक खेलों के रूप में मान्यता दी गई।
- शीतकालीन ओलंपिक खेलों का इस वर्ष का संस्करण 4 फरवरी से 20 फरवरी, 2022 तक बीजिंग, चीन में आयोजित किया जाएगा।
- भारत वर्ष 1964 से शीतकालीन ओलंपिक में भाग ले रहा है।

ब्रह्मोस का निर्यात: फिलीपींस

- हाल ही में फिलीपींस ने **ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल** के तट आधारित एंटी-शिप संस्करण की आपूर्ति के लिये **ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड** के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। यह इस मिसाइल के लिये पहला निर्यात ऑर्डर है, जो भारत और रूस का संयुक्त उत्पाद है।
- **दक्षिण चीन सागर** में विवादित द्वीपों को लेकर चीन के साथ तनाव के बीच फिलीपींस इस मिसाइल को शामिल करना चाहता है।
- कई देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल हासिल करने में दिलचस्पी दिखाई है। उदाहरण के लिये इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ चर्चा उन्नत चरणों में है।

ब्रह्मोस मिसाइल की विशेषताएँ:

- ब्रह्मोस **रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन** (The Defence Research and Development Organisation) तथा रूस के NPOM का एक संयुक्त उद्यम है।
- इसका नाम भारत की **ब्रह्मपुत्र नदी** और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है।
- यह दो चरणों वाली (पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट) मिसाइल है।
- यह एक मल्टीप्लेटफॉर्म मिसाइल है यानी इसे ज़मीन, हवा और समुद्र तथा बहु क्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है, जो किसी भी मौसम में दिन और रात में काम करती है।
- यह '**फायर एंड फॉरगेट्स**' सिद्धांत पर कार्य करती है यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती।
- ब्रह्मोस सबसे तेज़ क्रूज़ मिसाइलों में से एक है, यह वर्तमान में मैक 2.8 की गति के साथ कार्य करती है, जो कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक है।
- हाल ही में **ब्रह्मोस के एक उन्नत संस्करण** (विस्तारित रेंज सी-टू-सी वेरिएंट) का परीक्षण किया गया था।
- भारत द्वारा जून 2016 में **मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था** (Missile Technology Control Regime-MTCR) में

शामिल होने बाद इसकी रेंज को अगले चरण में 450 किमी. तथा 600 किमी. तक विस्तारित करने की योजना है।

- ब्रह्मोस मिसाइल को शुरुआत में **290 किमी. की रेंज** के साथ विकसित किया गया था।

मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR):

- यह **मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी** के प्रसार को रोकने हेतु **35 देशों के बीच एक अनौपचारिक एवं स्वैच्छिक साझेदारी** है, जो 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड को 300. से अधिक दूरी तक ले जाने में सक्षम है।
- उन सदस्यों को ऐसी मिसाइलों और यूएवी प्रणालियों की आपूर्ति करने से रोका जाता है जो गैर-सदस्यों की एमटीसीआर द्वारा नियंत्रित होते हैं।
- ये निर्णय सभी सदस्यों की सहमति से लिये जाते हैं।
- यह सदस्य देशों का एक गैर-संधि संघ है, जिसमें मिसाइल प्रणालियों हेतु सूचना साझा करने, राष्ट्रीय नियंत्रण कानूनों और निर्यात नीतियों तथा इन मिसाइल प्रणालियों की ऐसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को सीमित करने के लिये एक नियम-आधारित विनियमन तंत्र के बारे में कुछ दिशा-निर्देश हैं।
- इसकी स्थापना अप्रैल 1987 में **G-7 देशों- यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान** द्वारा की गई थी।

भारत के रक्षा निर्यात की स्थिति:

- रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये **रक्षा निर्यात सरकार के अभियान का एक स्तंभ** है।
- **30 से अधिक भारतीय रक्षा कंपनियों** ने इटली, मालदीव, श्रीलंका, रूस, **फ्रांस**, नेपाल, मॉरीशस, इज़रायल, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, इथियोपिया, सऊदी अरब, फिलीपींस, पोलैंड, चिली और स्पेन आदि देशों को हथियारों एवं उपकरणों का निर्यात किया है।
- निर्यात में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, इंजीनियरिंग यांत्रिक उपकरण, अपतटीय गश्ती जहाज़, उन्नत हल्के

हेलीकॉप्टर, एवियोनिक्स सूट, रेडियो सिस्टम एवं रडार सिस्टम शामिल हैं।

- हालाँकि भारत का रक्षा निर्यात अभी भी अपेक्षित सीमा तक नहीं पहुँचा है।
- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने वर्ष 2015-2019 के लिये प्रमुख हथियार निर्यातकों की सूची में भारत को 23वें स्थान पर रखा है।
- भारत अभी भी वैश्विक हथियारों का केवल 0.17% हिस्सा निर्यात करता है।
- रक्षा निर्यात में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन का कारण यह है कि भारत के रक्षा मंत्रालय के पास अब तक निर्यात हेतु कोई समर्पित एजेंसी नहीं है।
- निर्यात का विषय अलग-अलग निगमों पर छोड़ दिया जाता है, जैसे- 'ब्रह्मोस' या 'रक्षा सार्वजनिक शिपयार्ड' और अन्य उपक्रम।
- इस संदर्भ में KPMG रिपोर्ट 'डिफेंस एक्सपोर्ट्स: अनटैप्ड पोटेंशियल' शीर्षक से एक विशेष "डिफेंस एक्सपोर्ट हेल्प डेस्क" की स्थापना के पहले चरण की सिफारिश की गई है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि हेल्प-डेस्क से मिले इनपुट के आधार पर भारतीय कंपनियाँ निर्यात हेतु सरकारी मशीनरी के साथ काम कर सकती हैं।
- यदि भारत पड़ोस के देशों को बड़ी सैन्य प्रणाली प्रदान करने में सफल होता है, तो यह न केवल रक्षा निर्यात को बढ़ावा देगा, बल्कि चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिये एक रणनीतिक कदम भी होगा, क्योंकि वह पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्याँमार सहित एशिया में कई देशों को रक्षा उत्पाद प्रदान करता है।

‘हर घर, नल से जल’ योजना

- 'हर घर, नल से जल' (Har Ghar, Nal Se Jal) योजना के तहत वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

'हर घर, नल से जल' योजना:

- **योजना का आरंभ:** वर्ष 2019 में।
- **नोडल एजेंसी:** जल शक्ति मंत्रालय
- **उद्देश्य:** 2024 तक हर ग्रामीण घर में पाइप से पीने का पानी उपलब्ध कराना।
- यह सरकार के प्रमुख कार्यक्रम 'जल जीवन मिशन' का एक घटक है।

कार्यान्वयन:

- यह योजना एक अनूठे मॉडल पर आधारित है। इसमें ग्रामीणों को शामिल करते हुए 'पानी समितियां' (water committee) गठित की जाती हैं, और ये समितियां ही यह तय करती हैं, कि अपने द्वारा उपभोग किए जाने वाले पानी के लिए ग्रामीण क्या भुगतान करेंगे।
- पानी समितियों द्वारा निर्धारित शुल्क, गांव के सभी निवासियों के लिए एक समान नहीं होगा। जिन ग्रामीणों के पास बड़े घर हैं, वे अधिक भुगतान करेंगे, जबकि गरीब परिवारों या जिन घरों में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है, उन्हें इस शुल्क से छूट दी जाएगी।

आवश्यकता:

- 2018 में जारी की गयी नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, 600 मिलियन भारतीयों को पानी की कमी से अत्यधिक जूझना पड़ता है, और सुरक्षित जल तक अपर्याप्त पहुंच के कारण हर साल लगभग दो लाख व्यक्तियों की मौत हो जाती है।
- वर्ष 2030 तक, देश में पानी की मांग, उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी हो जाने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि करोड़ों लोगों के लिए पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ेगा और देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 6% की हानि होगी।
- अध्ययनों से यह भी पता चलता है, कि 84% ग्रामीण घरों में पाइप से आने वाले पानी की सुविधा नहीं है और देश का 70% से अधिक पानी दूषित है।

‘जल जीवन मिशन’:

- ‘जल जीवन मिशन’ (Jal Jeevan Mission) के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (Functional House Tap Connections- FHTC) के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।
- यह अभियान, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इसे 2019 में लॉन्च किया गया था।

कार्यान्वयन:

- ‘जल जीवन मिशन’, जल के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसके तहत मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक जानकारी, शिक्षा और संवाद को शामिल किया गया है।
- इस मिशन का उद्देश्य, जल के लिए एक जन-आंदोलन तैयार करना है, जिसके द्वारा यह हर किसी की प्राथमिकता में शामिल हो जाए।
- इस मिशन के लिए, केंद्र और राज्यों द्वारा, हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10; अन्य राज्यों के लिए 50:50 के अनुपात में; और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

पांच नदी-जोड़ो परियोजना: केंद्रीय बजट

- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में भारत में ‘पांच नदी-जोड़ो परियोजनाओं’ (five river linking projects) का प्रस्ताव रखा है।

परियोजना हेतु चिह्नित की गयी नदियां:

- गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी, दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा (Par-Tapi-Narmada)।

इन नदियों का संक्षिप्त विवरण:

- **कृष्णा नदी**, भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है।
- **कावेरी नदी** का उद्गम 'कोडागु' से होता है और यह कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है।
- **पेन्नार नदी**, 'चिक्काबल्लापुरा' से निकलती है और कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है।
- **गोदावरी नदी**, भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नासिक से निकलती है और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है।
- **दमनगंगा-पिंजल नदी-जोड़ परियोजना** (Damanganga-Pinjal river linking) का उद्देश्य, मुंबई शहर के लिए घरेलू पानी उपलब्ध कराने हेतु 'दमनगंगा बेसिन' से अधिशेष जल को शहर की ओर मोड़ना है।
- **'पार-तापी-नर्मदा परियोजना'** (Par-Tapi-Narmada project) के अंतर्गत, उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के पश्चिमी घाट क्षेत्र स्थित सात जलाशयों से अतिरिक्त पानी को, कच्छ और सौराष्ट्र के संदिग्ध क्षेत्रों में भेजे जाने का प्रस्ताव है।

इंटरलिंगिंग के लाभ:

- जल और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि
- जल का समुचित उपयोग
- कृषि को बढ़ावा
- आपदा न्यूनीकरण
- परिवहन को बढ़ावा देना

संबंधित विवाद एवं चिंताएं:

- नदियों को आपस में जोड़ना (Interlinking) काफी महंगा प्रस्ताव है। इससे भूमि, जंगलों, जैव विविधता, नदियों और लाखों लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- नदियों को आपस में जोड़ने से, वनों, आर्द्रभूमियों और स्थानीय जल निकायों का विनाश होगा। आर्द्रभूमियां, भूजल पुनर्भरण हेतु प्रमुख तंत्र होती हैं।
- इस तरह की परियोजनाएं लोगों के बड़े पैमाने पर विस्थापन का कारण बनती है। जिससे विस्थापितों के पुनर्वास के मुद्दे से निपटने के लिए सरकार पर भारी बोझ पड़ता है।
- नदियों को आपस में जोड़ने से, समुद्र में गिरने वाले ताजे पानी की मात्रा में कमी आएगी और इससे समुद्री जीवन को गंभीर खतरा होगा।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

- हाल ही में सरकार ने स्पष्ट किया है कि **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)** के तहत एकल और परित्यक्त माताओं को शामिल करने के लिये उनके पतियों का **आधार** अनिवार्य नहीं है।

आधार:

- आधार जो कि **12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान (UID) संख्या** है, **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)** द्वारा भारत के सभी निवासियों के लिये अनिवार्य है।
- **UIDAI आधार अधिनियम 2016** के प्रावधानों के तहत **12 जुलाई, 2016** को भारत सरकार द्वारा **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के अधिकार क्षेत्र में स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।

- UIDAI की स्थापना भारत सरकार द्वारा जनवरी, 2009 में **योजना आयोग** के तत्वावधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:

- यह एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है, जिसे 1 जनवरी, 2017 से देश के सभी ज़िलों में लागू किया गया है।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका क्रियान्वयन **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** द्वारा किया जा रहा है।
- इसके तहत पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने और मज़दूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई हेतु गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में सीधे धन का भुगतान किया जाता है।

योजना के लाभ:

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई-सीएस) के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा योजना के क्रियान्वयन की बारीकी से निगरानी की जाती है।
- PMMVY-CAS एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है, इसके परिणामस्वरूप लाभार्थी की किसी भी शिकायत का शीघ्र, जवाबदेही के साथ बेहतर तरीके से निवारण होता है।

लक्षित लाभार्थी:

- वे महिलाएँ जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रोज़गार में संलग्न हैं तथा किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करती हैं, को छोड़कर सभी गर्भवती महिलाएँ एवं स्तनपान कराने वाली माताएँ (Pregnant Women and Lactating Mothers- PW&LM) इस योजना के लिये पात्र हैं।
- ऐसी सभी पात्र गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ जिन्होंने परिवार में पहली संतान के लिये 1 जनवरी, 2017 को या उसके बाद गर्भधारण किया हो।

योजना के तहत प्राप्त लाभ:

- लाभार्थी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर तीन किस्तों में 5,000 रुपए का नकद लाभ प्राप्त होता है:
- गर्भधारण का शीघ्र पंजीकरण।
- प्रसव-पूर्व जाँच।
- बच्चे के जन्म का पंजीकरण एवं परिवार के पहले जीवित बच्चे के टीकाकरण का पहला चक्र पूरा करना।
- पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत नकद प्रोत्साहन भी मिलता है। इस प्रकार औसतन एक महिला को 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

महिलाओं से संबंधित अन्य योजनाएं:

- इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना
- केरल में कुटुंबश्री
- पोषण अभियान
- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना

“स्टेच्यू ऑफ इक्लिटी”

- प्रधानमंत्री 5 फरवरी (आज) को हैदराबाद में रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा “स्टेच्यू ऑफ इक्लिटी” का उद्घाटन करेंगे।
- 'वसुधैव कुटुम्बकम् (दुनिया एक परिवार)' के उनके विचार को कायम रखते हुए भारत उनकी 1,000वीं जयंती को 'समानता के त्योहार' के रूप में मना रहा है।

प्रतिमा से संबंधित तथ्य:

- यह 216 फीट ऊँची प्रतिमा है, जिसे 'पंचलौह' यानी पाँच धातुओं- सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता के संयोजन से बनाया गया है, यह बैठी हुई मुद्रा में धातु की दुनिया में सबसे ऊँची प्रतिमाओं में से एक है।

- यह प्रतिमा 'भद्र वेदी' नाम की 54 फीट ऊँची इमारत पर स्थापित है। इसमें एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र, प्राचीन भारतीय ग्रंथ, एक थिएटर तथा श्री रामानुजाचार्य के कई कार्यों का विवरण देने वाली एक शैक्षिक गैलरी आदि शामिल हैं।

जीवन परिचय:

- वर्ष 1017 में तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में जन्मे **रामानुजाचार्य** एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे।
- उनके जन्म के समय उनका नाम **लक्ष्मण** रखा गया था। उन्हें **इलाया पेरुमल** के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है **दीप्तिमान**।
- उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय का समर्थन करते हुए पूरे भारत की यात्रा की।
- उन्होंने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया और उनके उपदेशों ने अनेक भक्ति विचारधाराओं को प्रेरित किया। उन्हें अन्नमाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, **कबीर** व **मीराबाई** जैसे कवियों के लिये प्रेरणा माना जाता है।
- रामानुजाचार्य वेदांत के विशिष्टाद्वैतवाद की उप-शाखा के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं।
- विशिष्टाद्वैत वेदांत दर्शन की एक अद्वैतवादी परंपरा है।
- यह सर्वगुण-संपन्न परमसत्ता का अद्वैतवाद है, जिसमें मात्र ब्रह्म का अस्तित्व माना जाता है, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति विविध रूपों में होती है।
- उन्होंने नवरत्नों के नाम से प्रसिद्ध नौ शास्त्रों की रचना की और वैदिक शास्त्रों पर कई भाष्यों की रचना की।
- रामानुज के सबसे महत्वपूर्ण लेखन में 'वेदांत सूत्र' पर उनकी टिप्पणी (श्री भाष्य या 'सच्ची टिप्पणी') और भगवद-गीता पर उनकी टिप्पणी (गीताभाष्य या 'गीता पर टिप्पणी') शामिल हैं।
- उनके अन्य लेखन में 'वेदांत संग्रह' (वेद के अर्थ का सारांश), वेदांतसार (वेदांत का सार) और वेदांतदीप (वेदांत का दीपक) शामिल हैं।
- उन्होंने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने और संसाधनों का अति-दोहन न करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है।

स्टेच्यू ऑफ इकलिटी:

- रामानुज सदियों पहले लोगों के सभी वर्गों के बीच सामाजिक समानता के पैरोकार थे और उन्होंने समाज में जाति या स्थिति से परे सभी के लिये मंदिरों के दरवाजे खोलने हेतु प्रोत्साहित किया, वह भी एक ऐसे समय में जब कई जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी।
- उन्होंने शिक्षा को उन लोगों तक पहुँचाया जो इससे वंचित थे। उनका सबसे बड़ा योगदान 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अवधारणा का प्रचार है, जिसका अनुवाद प्रायः 'सारा ब्रह्मांड एक परिवार है', के रूप में किया जाता है।
- उन्होंने अपने अभिभाषणों के माध्यम से मंदिरों में सामाजिक समानता और सार्वभौमिक भाईचारे के अपने विचारों का प्रचार करते हुए कई दशकों तक पूरे भारत की यात्रा की।
- उन्होंने सामाजिक रूप से हाशिये पर स्थित लोगों को गले लगाया और उनकी इस स्थिति के कारणों की निंदा की तथा शाही अदालतों (Royal Courts) से उनके साथ समान व्यवहार करने को कहा।
- उन्होंने ईश्वर की भक्ति, करुणा, विनम्रता, समानता और आपसी सम्मान के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष की बात की जिसे श्री वैष्णव संप्रदाय के रूप में जाना जाता है।
- रामानुजाचार्य ने सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, शैक्षिक और आर्थिक भेदभाव से लाखों लोगों को इस मूलभूत विश्वास के साथ मुक्त किया कि राष्ट्रीयता, लिंग, जाति, पंथ से पहले हर मनुष्य समान है।

YOGNA WAS

मिशन चंद्रयान-3

- हाल ही में अंतरिक्ष विभाग द्वारा इस बात की जानकारी साझा की गई है कि भारत की योजना अगस्त 2022 में चंद्रयान-3 मिशन (Chandrayaan-3) को लॉन्च करना है।

चंद्रयान-3 मिशन:

- चंद्रयान-3 मिशन जुलाई 2019 के **चंद्रयान-2** का अनुवर्ती/उत्तराधिकारी मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्र के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को उतारना था।
- विक्रम लैंडर की विफलता के बाद लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने हेतु एक और मिशन की खोज की आवश्यकता महसूस की गई जो वर्ष 2024 में जापान के साथ साझेदारी में प्रस्तावित **चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन (Lunar Polar Exploration Mission)** से संभव है।
- इसमें एक ऑर्बिटर और एक लैंडिंग मॉड्यूल होगा। हालांकि इस ऑर्बिटर को चंद्रयान-2 जैसे वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित नहीं किया जाएगा।
- इसका कार्य केवल लैंडर को चंद्रमा तक ले जाने, उसकी कक्षा से लैंडिंग की निगरानी करने और लैंडर व पृथ्वी स्टेशन के मध्य संचार करने तक ही सीमित रहेगा।

चंद्रयान-2 मिशन:

- चंद्रयान-2 में एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे, जो सभी चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिये वैज्ञानिक उपकरणों से लैस थे।
- ऑर्बिटर द्वारा 100 किलोमीटर की कक्षा में चंद्रमा को देखा गया, जबकि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिये लैंडर और रोवर मॉड्यूल को अलग किया गया था।
- इसरो ने लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के अग्रणी विक्रम साराभाई के नाम पर रखा था और रोवर मॉड्यूल को प्रज्ञान नाम दिया गया जिसका अर्थ है- ज्ञान।
- इसे देश के सबसे शक्तिशाली जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी-एमके 3 (GSLV-Mk 3) द्वारा भेजा गया था।

- हालांकि लैंडर विक्रम द्वारा नियंत्रित लैंडिंग के बजाय क्रेश-लैंडिंग की गई जिस कारण रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक स्थापित नहीं किया जा सका।

GSLV-Mk 3:

- जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल-एमके 3 (GSLV-Mk 3) '**भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन**' (ISRO) द्वारा विकसित एक उच्च प्रणोदन क्षमता वाला यान है। यह एक तीन-चरणीय वाहन है, जिसे संचार उपग्रहों को भूस्थिर कक्षा में लॉन्च करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
- इसका द्रव्यमान 640 टन है जो 8,000 किलोग्राम पेलोड को **लो अर्थ ऑर्बिट** (LEO) और 4000 किलोग्राम पेलोड को जीटीओ (जियो-सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में स्थापित कर सकता है।

कक्षाओं (ऑर्बिट) के प्रकार:

ध्रुवीय कक्षा:

- एक ध्रुवीय कक्षा वह कक्षा है जिसमें कोई पिंड या उपग्रह ध्रुवों के ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर गुज़रता है और एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगभग 90 मिनट का समय लेता है।
- इन कक्षाओं का झुकाव 90 डिग्री के करीब होता है। यहाँ से उपग्रह द्वारा पृथ्वी के लगभग हर हिस्से को देखा जा सकता है क्योंकि पृथ्वी इसके नीचे घूमती है।
- इन उपग्रहों के कई अनुप्रयोग हैं जैसे- फसलों की निगरानी, वैश्विक सुरक्षा, समताप मंडल में ओज़ोन सांद्रता को मापना या वातावरण में तापमान को मापना।
- ध्रुवीय कक्षा में स्थित लगभग सभी **उपग्रहों की ऊँचाई कम** होती है।
- एक कक्षा को **सूर्य-तुल्यकालिक** कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के केंद्र और उपग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण संपूर्ण कक्षा में स्थिर रहता है।
- इन कक्षाओं को "**लो अर्थ ऑर्बिट (LEO)**" के रूप में भी जाना जाता है, जो ऑनबोर्ड कैमरा को प्रत्येक बार की जाने वाली यात्रा के दौरान **समान सूर्य-रोशनी की स्थिति में पृथ्वी की छवियों को लेने**

में सक्षम बनाता है, इस प्रकार यह उपग्रह को पृथ्वी के संसाधनों की निगरानी के लिये उपयोगी बनाता है।

- यह सदैव पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु के ऊपर से गुज़रता है।

भू-तुल्यकालिक कक्षा (Geosynchronous Orbit):

- भू-तुल्यकालिक उपग्रहों को उसी दिशा में कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है।
- जब उपग्रह **एक विशिष्ट ऊँचाई (पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किमी.)** पर कक्षा में स्थित रहता है, तो वह उसी गति से परिक्रमा करता है जिस पर पृथ्वी घूर्णन कर रही होती है।
- जबकि **भूस्थैतिक कक्षा भी भू-तुल्यकालिक कक्षा की श्रेणी में आते हैं**, लेकिन इसमें भूमध्य रेखा के ऊपर कक्षा में स्थित रहने का एक विशेष गुण है।
- भूस्थिर उपग्रहों के मामले में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वृत्तीय गति हेतु आवश्यक त्वरण प्रदान करने के लिये पर्याप्त होता है।
- **भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा (GTO): भू-तुल्यकालिक कक्षा या भूस्थैतिक कक्षा** को प्राप्त करने के लिये एक अंतरिक्षयान को पहले **भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा** में लॉन्च किया जाता है।
- **GTO** से अंतरिक्षयान अपने इंजन का उपयोग भूस्थैतिक और भू-तुल्यकालिक कक्षा में स्थानांतरित होने के लिये करता है।

बजट शब्दावलि

- भारत का बजट केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट प्रभाग द्वारा बनाया जाता है। इसे तैयार करने में अन्य सभी मंत्रालयों की वित्तीय ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जाता है।

- बजट में सरकार की प्राप्तियों और खर्च का मदवार ब्यौरा दिया जाता है। जिसमें चालू वित्त वर्ष के अनुमानित और संशोधित आंकड़े और पिछले साल के वास्तविक आंकड़े, साथ ही, आने वाले वित्त वर्ष के अनुमान व्यक्त किये जाते हैं।
- सबसे पहला सवाल है कि वित्त वर्ष क्या होता है? दरअसल वित्तीय मामलों के हिसाब-किताब के लिए एक आधार वर्ष होता है, इसे वित्त वर्ष कहते हैं।
- अपने देश में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की अवधि को वित्त वर्ष माना जाता है। मौजूदा बजट वित्त वर्ष 2022-23 के लिए है।
- **वार्षिक वित्तीय विवरण:** भारतीय संविधान में सीधे तौर पर 'बजट' शब्द का जिक्र नहीं है, बल्कि इसे संविधान के आर्टिकल 112 में 'एनुअल फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट' कहा गया है। फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का उस साल के लिए सरकार का विस्तृत ब्यौरा होता है।
- **बजट लेखा-जोखा** यानी बजट एस्टिमेट्स: वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा तमाम करों से प्राप्त राजस्व और खर्च के आकलन को बजट लेखा-जोखा कहा जाता है।
- **संशोधित लेखा-जोखा** यानी रिवाइज्ड एस्टिमेट्स: बजट में किए गए आकलनों और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से इनके वास्तविक आंकड़ों के बीच का अंतर संशोधित लेखा-जोखा कहलाता है। इसका जिक्र आने वाले बजट में किया जाता है।
- **राजकोषीय घाटा:** सरकार को प्राप्त कुल राजस्व और कुल खर्च के बीच का अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं।
- **राजस्व प्राप्ति:** सरकार को प्राप्त सभी प्रकार के आय जिन्हें सरकार को वापस नहीं करना है राजस्व प्राप्तियां कहलाती है। इनमें सभी प्रकार के टैक्स और शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज और लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम शामिल होते हैं। हालांकि इसमें सरकार द्वारा लिए गए कर्ज शामिल नहीं होते, क्योंकि उन्हें वापस करना होता है।
- **राजस्व व्यय:** विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं पर व्यय, कर्ज पर ब्याज की अदायगी और सब्सिडी पर होने वाले व्यय को राजस्व व्यय कहा जाता है।

- **वित्त विधेयक:** नए टैक्स लगाने, टैक्स में किसी तरह के बदलाव करने या फिर मौजूदा टैक्स ढांचे को जारी रखने के लिए संसद में पेश विधेयक को वित्त विधेयक कहते हैं। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत किया गया है।
- **विनियोग विधेयक:** सरकार द्वारा संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी चाहिए होती है। इस मंजूरी के लिए जो विधेयक पेश किया जाता है उसे विनियोग विधेयक कहते हैं।
- **संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड:** सरकार की सभी राजस्व प्राप्तियां, बाजार से लिए गए कर्ज और सरकार द्वारा दिए गए कर्ज पर प्राप्त ब्याज संचित निधि में जमा होते हैं। भारत सरकार की सबसे बड़ी इस निधि का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। बिना संसद की मंजूरी के इस निधि से एक भी रुपया नहीं निकाला जा सकता।
- **आकस्मिक निधि यानी कंटीन्जेंसी फंड:** इस निधि को इसलिए बनाया जाता है, ताकि कभी इमरजेंसी खर्च की जरूरत पड़े तो संसद की स्वीकृति के बिना भी पैसा निकाला जा सके।
- **पूंजीगत प्राप्तियां:** सरकार द्वारा बाजार से लिए गए कर्ज, आरबीआई से लिया गया कर्ज और विनिवेश के जरिए प्राप्त आमदनी को पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत रखा जाता है।
- **पूंजीगत व्यय:** सरकार द्वारा अधिग्रहण किए गए तमाम संपत्तियों पर हुए खर्च को पूंजीगत व्यय के अंतर्गत रखा जाता है।
- **सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी:** अमूमन 1 वित्त वर्ष में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है।
- **सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी:** जब जीडीपी और स्थानीय नागरिकों द्वारा विदेशों में किए गए कुल निवेश को जोड़ देते हैं और उसमें से विदेशी नागरिकों द्वारा हमारे देश में अर्जित लाभ को घटा देते हैं तो इस तरह प्राप्त रकम को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई:** जब कोई विदेशी कंपनी भारत में मौजूद किसी कंपनी में अपनी शाखा, प्रतिनिधि कार्यालय या सहायक कंपनी के जरिए निवेश करते हैं तो इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है।

- **विनिवेश यानी डिसइनवेस्टमेंट:** विनिवेश एक प्रक्रिया है जिसमें सरकार अपने नियंत्रण वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) की संपत्ति बेचकर अपने फंड्स को बढ़ाती है। सरकारें यह अपने खर्चे और आय के बीच अंतर को कम करने के लिए करती हैं।
- **सब्सिडी:** जब सरकार द्वारा व्यक्तियों या समूहों को किसी प्रकार की नकदी या फिर कर में छूट दी जाती है तो इसे सब्सिडी कहते हैं। ज्यादातर इसका मकसद लोक कल्याण होता है।
- **सार्वजनिक खाता यानी पब्लिक अकाउंट:** संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत पब्लिक अकाउंट के गठन की बात कही गई है। यह एक ऐसा फंड होता है जहां सरकार एक बैंकर के रूप में काम करती है। गौरतलब है कि इस धन पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि उसे जमाकर्ताओं को वापस करना है।
- **कटौती प्रस्ताव:** जब सरकार संसद के सामने अनुदान मांगों को मंजूरी के लिए सदन में विधेयक पेश करती है तो कभी-कभी विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसके जरिए विभिन्न मांगों में कटौती की मांग की जाती है।

YOUNA LAS